व्यापार कर विभाग
उत्तर प्रदेश

[वैट अधिनियम में रिफण्ड]

प्र0 1- रिफण्ड के लिए किस धारा व नियम में प्राविधान किया गया है ?

उ0- प्रस्तावित वैट अधिनियम की धारा-40 व 41 तथा प्रस्तावित वैट नियमावली के नियम-49 व 50 में रिफण्ड तथा विलम्ब से ब्याज देने के बारे में प्राविधान किये गये है।

प्र0 2- रिफण्ड आदेश होने के कितने दिनों में रिफण्ड व्यापारी को प्राप्त होगा ?

उ0- रिफण्ड देय होने के 30 दिन के अन्दर रिफण्ड व्यापारी को प्राप्त होगा । लेकिन यदि फर्म बन्द हो गयी है तो आदेश होने की 90 दिन की अवधि के भीतर रिफण्ड दिया जाएगा ।

प्र0 3- रिफण्ड लेने के लिए क्या कोई प्रार्थना पत्र देने की आवश्यकता है ?

उ0- नहीं ।

प्र0 4- क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित रिफण्ड को अगले वर्ष के टैक्स के विरूद्ध समायोजित किया जा सकता है ?

उ0- हां, समायोजित किया जा सकता है ।

प्र0 5- क्या रिफण्ड आदेश व रिफण्ड की धनराशि व्यापार कर कार्यालय में जाकर लेनी पड़ेगी ?

उ0- नहीं, रिफण्ड की धनराशि सीधे व्यापारी के बैंक खाते में ट्रेजरी चेक द्वारा ट्रान्सफर की जाएगी ।

प्र0 6- यदि रिफण्ड विलंब से मिलता है तो क्या ब्याज भी दिया जाएगा ?

उ0- हां ।

प्र0 7- ब्याज कितने प्रतिशत की दर से दिया जाएगा ?

उ0- 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ।

प्र0 8- रिफण्ड लेने के लिए व्यापारी को क्या बैंक का खाता संख्या देना पड़ेगा ?

उ0- हां, जिन बैंकों में व्यापार कर जमा किया जाता है उन बैंकों की उस जिले में किसी शाखा, जिसमें व्यापारी का खाता है उस शाखा का नाम व खाता संख्या करनिर्धारण अधिकारियों को 10 दिन में सूचित करना होगा ।

प्र0 9- यदि पंजीयन के समय बैंक का नाम, बैंक की शाखा व खाता संख्या दिया गया है तो क्या रिफण्ड हेतु दोबारा बैंक खाता संख्या देना होगा ?

उ0- नहीं, यदि पंजीयन के समय खाता संख्या व शाखा का नाम दिया गया है और अब भी चालू है तो दोबारा नहीं देना होगा।

प्र0 10- निर्यात पर कोई कर देय नहीं होगा परन्तु इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफण्ड होगा कि नहीं ?

उ0- निर्यातकों के लिए प्रत्येक टैक्स पीरियड के लिए प्रार्थना पत्र पर अस्थायी रिफण्ड दिया जाएगा ।

प्र0 11- रिफण्ड ड्यू (due) कब माना जाएगा ?

उ0-
- जिस दिन रिफण्ड देने का आदेश करनिर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किया जाएगा उसी दिन से रिफण्ड ड्यू माना जाएगा ।
- यदि किसी अन्य अधिकारी या न्यायालय द्वारा रिफण्ड आदेश पारित किया जा रहा है तो उस आदेश के

करनिर्धारण अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त होने के दिनांक को रिफण्ड ड्यू होगा।

- यदि रिफण्ड की धनराशि इनपुट टैक्स क्रेडिट अधिक होने के कारण है तो वर्ष के अंतिम टैक्स रिर्टन दाखिल करने के लिए निर्धारित तिथि या टैक्स रिटर्न दाखिल करने की वास्तविक तिथि दोनों में से जो बाद में होगा उस तिथि को रिफण्ड ड्यू माना जाएगा।

प्र0 12- रिफण्ड की प्रक्रिया क्या होगी ?

उ0-

- रिफण्ड ड्यू (due) होने की तिथि से 21 दिन के भीतर करनिर्धारण अधिकारी **रिफण्ड पेमेन्ट आर्डर** बनाएगा और यह ऑर्डर उसी अवधि में जिले के आहरण वितरण अधिकारी [डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) या असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रशासन)] को प्राप्त करा देंगे।
- आहरण वितरण अधिकारी ऐसे आदेश की प्राप्ति के 5 दिन के भीतर बिल बनाकर रिफण्ड पेमेन्ट आर्डर की कॉपी के साथ ट्रेजरी ऑफिसर को प्राप्त करायेंगे।
- ट्रेजरी ऑफिसर बिल / आर्डर प्राप्त होने के 4 दिन के भीतर एकाउण्ट पेई चेक उस बैंक के नाम बनाएगा जिस बैंक में व्यापारी का खाता है, और संबंधित बैंक की सर्विस ब्रांच को प्रेषित करेगा। सर्विस ब्रांच की जिम्मेदारी होगी कि वह एकाउण्ट पेई चेक को कैश कराकर व्यापारी के खाते में रिफण्ड की धनराशि ट्रान्सफर / जमा करें।

प्र0 13- रिफण्ड किस तिथि को दिया हुआ माना जाएगा ?

उ0- जिस तारीख को ट्रेजरी ऑफिसर चेक बनाकर सर्विस ब्रांच को प्रेषित करेगा उसी तिथि को रिफण्ड दिया हुआ माना जाएगा।

प्र0 14- विलंब से देय रिफण्ड पर ब्याज की गणना कब से की जाएगी ?

उ0- विलंब से देय रिफण्ड पर ब्याज की गणना रिफण्ड ड्यू होने की तिथि से की जाएगी ।

प्र0 15- ब्याज देने की क्या प्रक्रिया होगी ?

उ0- जो प्रक्रिया रिफण्ड देने की है वही प्रक्रिया ब्याज देने की होगी अर्थात जिस तारीख से रिफण्ड ड्यू है उसे देने की तिथि तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की गणना करके करनिर्धारण अधिकारी आर्डर आहरण वितरण अधिकारी को आदेश भेजेगा । आहरण वितरण अधिकारी बिल बनाकर उसे ट्रेजरी भेजेगा और ट्रेजरी एकाउण्ट पेई चेक के द्वारा व्यापारी के खाते में धनराशि ट्रान्सफर करायेंगे।

प्र0 16- प्रोविजनल रिफण्ड क्या होता है ?

उ0- यदि कोई व्यापारी केवल निर्यात का व्यापार करता है तो व्यापारी द्वारा टैक्स पीरियड का रिटर्न दाखिल करते समय रिफण्ड के प्रार्थना पत्र पर प्रोविजनल रिफण्ड प्रत्येक माह भी दिया जा सकता है। ऐसे रिफण्ड को प्रोविजनल रिफण्ड कहते हैं ।

प्र0 17- क्या ऐसे प्रोविजनल रिफण्ड की धनराशि बिना ऑडिट / जांच के दे दी जाएगी ?

उ0- हां ।

प्र0 18- यदि प्रोविजनल रिफण्ड की धनराशि अधिक वापस हो जाए तो क्या उसे विभाग को वापस करना होगा और क्या वापसी पर ब्याज भी देय होगा ?

उ0- हां, 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित वापस देना होगा।

प्र0 19- ई-रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारियों को क्या विशेष सुविधा दी जाएगी ?

उ0- ई-रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारियों को ई-चेक से रिफण्ड दिये जाने की सुविधा दी जाएगी।

***